



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

पंचदीप भवन, नन्दानगर, इंदौर-452011(म.प्र.)

ISO 9001:2015 Certified/आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित

Phone /Fax:: 0731-2550485

E-mail : rd-mp@esic.nic.in

Website : www.esic.gov.in

No A-33012/17/2022-ADMIN

Date:01-01-2026

कार्यालय आदेश संख्या. 02/2026

क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने दिनांक 22.12.2025 को सम्पन्न हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की अनुशंसा के आधार पर MTS पद (Pay Level-1) केडर से LDC पद (Pay Level-2) में नियमित आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों की पदोन्नति करने के आदेश प्रदान किए हैं:-

The Regional Director has approved the promotion of the following employees from the post of MTS (Pay Level-1) to the post of LDC (Pay Level-2) on a regular basis, based on the recommendations of the Departmental Promotion Committee (DPC) which met on 22.12.2025.

Sr. No.	Name (Sh./Smt./Ku.)	Promoted Under Category
1	Mranal Maratha	UR
2	Kapil Mudgal	UR
3	Shubham Bhadouria	UR
4	Deepraj Rajput	UR
5	Hariom Leva	UR
6	Samiksha Rai	SC
7	Hemant Jhariya	SC

- उक्त वर्णित कर्मिकों की नियमित पदोन्नति, दिनांक 01.01.2026 या पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी। नियमित पदोन्नति पर कर्मिकों का वेतन एफआर 22(1)(a) (1) के प्रावधानों के अनुसार लेवल-2 में निर्धारित किया जाएगा एवं वेतन निर्धारण के लिए कर्मिक अपना विकल्प पत्र, इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि के अंदर, प्रस्तुत कर सकते हैं। एक माह के बाद प्रस्तुत विकल्प पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

Regular promotion of aforesaid employees will take effect from 01.01.2026 or the date of assumption of charge to the promoted post whichever is later. The pay on regular promotion will be fixed in Level-2 as per the provisions of FR22 (1) (a) (1) and the employees will exercise their options for fixation of pay within one month from the date of issue of this order. Option submitted after one month will not be considered.

- उक्त वर्णित कर्मचारियों की निम्न श्रेणी लिपिक पद पर नियमित पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी वृन्द एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2023 एवं यथा संशोधित नियमों के अनुसार शासित होगी।

Regular promotion of the said employees to the post of Lower Division Clerk will be governed by the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023 and rules as amended.

- उक्त वर्णित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना दिनांक 07.01.2026 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

The above mentioned employees should ensure to submit the information regarding acceptance/rejection of promotion by 07.01.2026.

5. जो कर्मचारी पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे, उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.04.1989 के पैरा 17.12 के अनुसार, अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अथवा अगली रिक्ति उत्पन्न होने तक (जो भी बाद में हो) नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथा उनके पूर्व नियमित रूप से पदोन्नत किए गए कर्मचारी, LDC संवर्ग में उनसे वरिष्ठ माने जाएंगे।

Those officials who decline the offer of promotion will not be considered for regular promotion for a period of one year from the date of refusal or till a next vacancy arises whichever is later as per para 17.12 of DOPT OM dated 10.04.1989 and the other officials promoted on regular basis prior to the dates of their next promotion to the cadre of LDC will become senior to them.

6. उपरोक्त सभी कार्मिकों को उनकी वर्तमान तैनाती स्थान पर ही पदोन्नत किया गया है। उनका स्थानांतरण/तैनाती आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अलग से जारी किया जाएगा।

All the above Officials are for the time being, promoted on, in situ basis at their present place of posting. Their transfer/posting order will be issued separately as per the administrative requirement in due course.

7. ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

Joining report(s) may be sent to Administration Branch, Regional Office, Indore in due course.

Digitally signed by
Rahul Bhardwaj
Date: 01-01-2026
10:23:31

(Rahul Bhardwaj)
Deputy Director (Adm.)

प्रति,

1. संबंधित कर्मचारी,
2. उप निदेशक/सहायक निदेशक, समस्त शाखाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर,
3. संयुक्त निदेशक प्रभारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल,
4. डीन, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इंदौर,
5. चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआईसी अस्पताल, सोनागिरी, भोपाल,
6. समस्त शाखा प्रबंधक, समस्त शाखा कार्यालय/डीसीबीओ, मध्य प्रदेश क्षेत्र,
7. आईटी सेल, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर (वेबसाइट पर अद्यतन हेतु),
8. संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाइल,
9. गार्ड फाइल।